10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which Application in made for copy accomp- -anied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of porting notice on notice board.	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of officer delivering copy
14-1-15 [illegible] [illegible] / 15	19-1-15 [illegible] [illegible] / 15	19-1-15 [illegible] [illegible] / 15	[signature] 19-1-15

9/14-1-15 न्यायालय सिविल जज सी०डि० मिर्जापुर
O.S. 169/14

[illegible]

[illegible]

जनपद एवं सत्र न्यायालय मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

H.C.J. Form No. 29 Part IV

228क
1

मूलवाद में अज्ञप्ति

(आदेश 20 नियम 7–6)

न्यायालय Civil Judge (Sr. ~~Div~~) Mirzapur जिला

मूलवाद संख्या 169/14

संस्थित–दिनांक 30 मास 5 सन् 2014 ई0

New Line mercantile pvt. Ltd. registered office at Flat No. 204, IInd Floor, I Bye Lane, I Rameshwar malia वादी Howrah 711101, though its Director & authorized Signatory Sri Saurabh Agrawal S/o Shri Gopal Lal Agrawal R/o K. 67/83-2, Flat No. 25, Elexi Paradise, Ishwargangi, Nati Imli Varansi.

बनाम

Verses

Shrikant Pandey a/a 67 years Son of Late Jagdamba Prasad Pandey R/o village-Rampur ~~Bhau~~ Bahuti, Post-Shree प्रतिवादी Niwasdham, District-Mirzapur. Presently residing at Sa. 1/10-18, State Bank Colony, Pandeypur, Varansi को छोड़कर

न्यायालय का नाम ....
वाद संख्या ....
पक्षकारों के नाम ....

टिप्पणी–जो पते ऊपर दिये गये है वह पक्षकारों में जो उपस्थित नहीं हुए तामील के प्रयोजन से दाखिल किये है।

के लिये दावा रु. 3,26,00,000/-

वादी के लिये श्री विनोद कुमार मिश्र एड० अभिवक्ता को

और प्रतिवादी के लिये " कृपाशंकर पाण्डेय एड० अभिवक्ता

को उपस्थिति में इस वाद के आज दि० 21-8-14 को श्री अनिल कुमार शुक्ला सिविल जज (सी०डि०) मिर्जापुर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर यह आदिष्ट और अज्ञाप्त किया जाता है कि–

आदेश

संधिपत्र 24क/1 व 24क/2 स्वीकार किया जाता है। संधिपत्र 24क/1 व 24क/2 के आधार पर वाद निर्णीत किया जाता है। संधिपत्र 24क/1 व 24क/2 डिक्री का अंश होगा।

पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

निर्णय का दि० 21-8-14
डिक्री निर्मित का दि० 23-8-14
P.O. महोदय के हस्ताक्षर का दि० 26-8-14

और इस वाद के खर्च मद्दे ———— रुपये की राशि आज की तारीख से ज्ञापन की तारीख तक उस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित

पर ————

दुबारा ———— को दी जाये।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक 26 मास 08 सन् 2014 ई0 को दी गई।

न्यायाधीश

सिविल जज (सी० डि०)
मिर्जापुर

22क
8

वाद के खर्च

वादी	रु0	पै0	प्रतिवादी	रु0	पै0
1. वाद पत्र के लिए मुद्रांक			1. शक्ति–पत्र के लिए मुद्रांक		
2. शक्ति–पत्र के लिए मुद्रांक			2. याचिका के लिये मुद्रांक		
3. प्रदर्शितों के लिए मुद्रांक			3. अधिवक्ता की फीस		
4. अधिवक्ता की फीस रु0 मद्द			4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय			5. आदेशिकाओं की तामील		
6. कमीशन निष्पादन की फीस			6. कमीशन निष्पादन की फीस		
7. आदेशिका की तामील					
जोड़			जोड़		

मुन्सरिम हस्ताक्षर

(श्री विनोद कुमार मिश्र एड०)
वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

(श्री रमाशंकर पाण्डेय एड०)
प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

पी0एस0यू0पी0 (वा0) 1 एच0सी0जे0–09.09.09–1,00,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

That the plaintiff prays for the following reliefs.

(i) That through a declaratory decree it may be declared that the plaintiff is in possession as true owner over the property more fully detailed and described in schedule hereunder.

(ii) That through a decree of permanent prohibitory injunction the defendant, his agent, and assigns may be restrained from transferring, alienating or creating any third party interest over the property more fully detailed and described in schedule hereunder.

(iii) That costs of the suit may be awarded to the plaintiff and against the defendant.

(iv) Any other relif which may be deemed fit and proper.

Schedule

(i) Land with all constructions - and structures therein comprising the settlement plots i.e.

Village Mirzapur Kala		Village Bathya	
Plot No.	Area	Plot No.	Area
55	0-18-0	569/2	11 Biswa
56	1-0-0	570/2	02 Biswa
57	0-5-0	571	04 Biswa
58/1	0-3-0	573	02 Biswa
58/2	0-2-0	574	10 Biswa
Total	2-8-0	568	07 Biswa 06 Dhur
		567/2	00 Biswa 05 Dhur
		575	08 Biswa 19 Dhur
		578	08 Biswa 13 Dhur

09
14/01/15

2850/3

579	11 Biswa
583	09 Biswa
582	10 Biswa
585	04 Biswa 18 Dhur
584	9 Biswa 6 Dhur

Total 04 Bigha 18 Biswa 4 Dhur

in shape of one compact permises measuring total 7 Bigha 6 Biswa 4 Dhur at adjoining villages Mirzapur Kala and Bathua pergana Kantit, Tappa 84, District Mirzapur, more fully detailed in site plan butted & bounded with following boundary:-

East – Mirzapur-Jabalpur Road (Known as Mirzapur Lalganj Road)

West – others Land of village Bathua & Mirzapur Kala

North – Railway Line

South – Mirzapur-Allahabad Road (Known as Jangi Road)

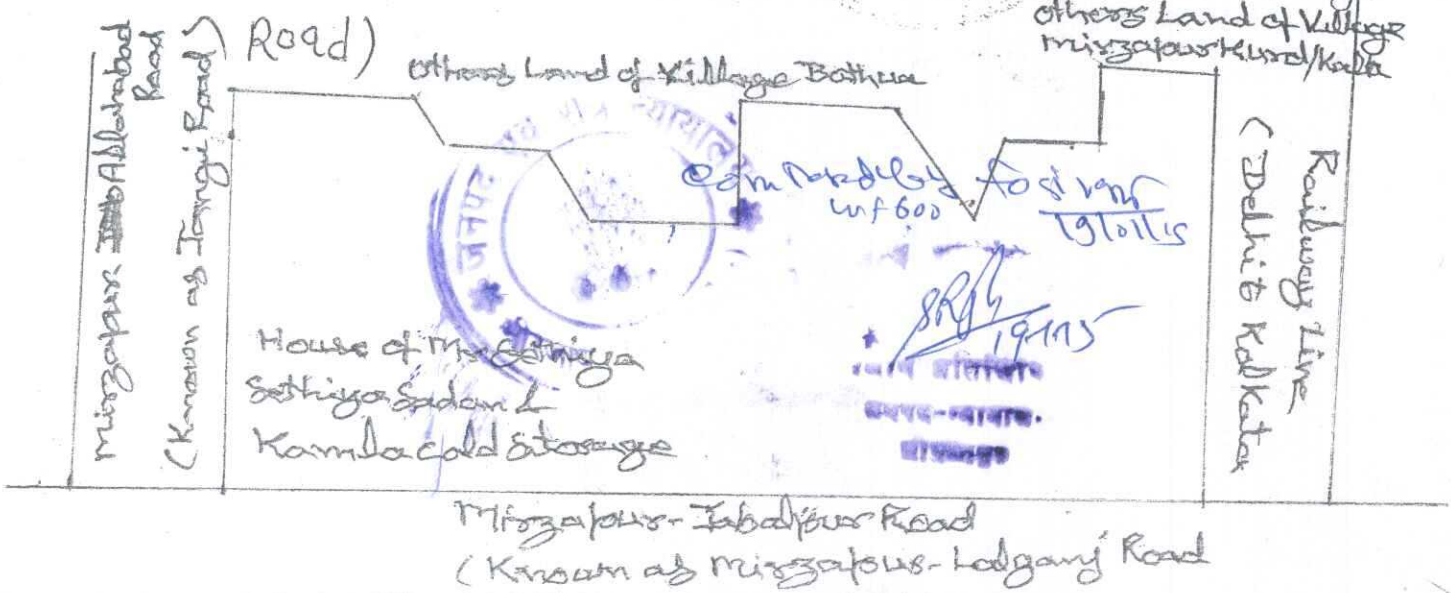

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग), मिर्जापुर

मूवाद संख्या-१६९ सन् २०१४ ई०

न्यू लाइन मर्केन्टाइल प्रा० लि॰ प्रति श्रीकान्त पाण्डेय

सुलहनामा पक्षगण निम्नांकित निवेदन करते हैं:-

(१) यह कि वादी कम्पनी एवं प्रतिवादी के मध्य सन्धि हो गयी है तथा वादी प्रतिवादी के मध्य अब किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं है।

(२) यह कि प्रतिवादी, वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए अपना वादोत्तर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी को यह तथ्य स्वीकार है कि प्रतिवादी ने वादी कम्पनी की ओर से वैश्वासिक क्षमता के अधीन नीलामी प्रक्रिया में पूरी निष्ठा एवं सद्भावना से भाग लिया तथा प्रतिवादी की अन्तिम बोली जो कम्पनी की ओर से प्रतिवादी ने लगाया था, को ऋण वसूली अधिकरण ने स्वीकार किया तद्नुसार सम्पूर्ण धन चार किश्तों में वादी कम्पनी ने ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया, परिणामस्वरूप प्रतिवादी को वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा दखल प्राप्त हुआ तथा प्रतिवादी जो कम्पनी की ओर से उक्त कार्यों के लिए अधिकृत किया गया था, ने वादी कम्पनी को वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा दखल तत्काल प्रदान कर दिया और वादी कम्पनी वादग्रस्त सम्पत्ति पर दिनांक १४/०३/२०१२ से वास्तविक भौतिक अध्यासन में है। वादी कम्पनी ने विक्रय-पत्र के निष्पादन प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु रु. २१,३५,०००/- (इक्कीस लाख पैंतीस हजार रुपये) की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया तथा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त

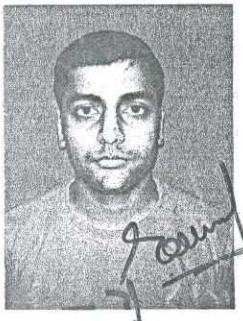

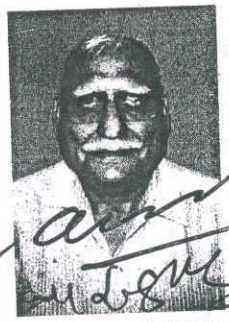

आज दिनांक 16/08/14 को वादी श्री [illegible] (प्रतिनिधि) अधिवक्ता श्री विनोद कुमार मिश्रा एवं प्रतिवादीगण श्री कान्त पाण्डेय व अधिवक्ता श्री कृपाशंकर पाण्डेय उपस्थित [illegible] सुलहनामा को सत्यापित किया सुलहनामा [illegible] को [illegible] गया। [illegible] के [illegible] हस्ताक्षर किया गया।

[illegible] 16/08/14

Civil Judge (S.D.)
[illegible]
16/08/14

[illegible]

[illegible]
[illegible]

Vinod Kumar Mishra
Adv

R.No. 2107/[illegible]

[illegible]

[illegible] K. Shukla
16-8-14

16/08/14 वाद पुकारा गया, लंच बाद सुलहनामा को तस्दीक करने हेतु वास्ते आदेश विद्वान अधिवक्तागण क्रमशः वादी एवं प्रतिवादी श्री विनोद कुमार मिश्र एवं श्री कृपाशंकर पाण्डेय निवेदन किया गया। शपथपत्र के साथ 23 सुलहनामा क्रमशः 22 क, व 23 क शपथपत्र एवं सुलहनामा 24 क प्रस्तुत किया गया। जिसपर जिरह साक्षीगण क्रमशः सौरभ अग्रवाल व श्री कान्त पाण्डेय से विद्वान अधिवक्तागणों ने किया तथा उनके बयान को एवं धारागण को तस्दीक भी किया।

पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/08/14 को पेश हो।

[illegible]
Civil Judge

प्रतिवादी ने पंजीकृत विक्रय प्रलेख मूलरूप से वादी कम्पनी को प्रदान कर दिया।

(३) यह कि प्रतिवादी ने उपरोक्त समस्त कार्य वादी कम्पनी की ओर से पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से वादी कम्पनी के व्यय पर सम्पादित कराया था। तकनीकी त्रुटिवश प्रतिवादी का नाम अभिलेख में उक्त विक्रय-पत्र के आधार पर अंकित हो गया है, जो गलत है। वादी कम्पनी वास्तविक रूप से वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी एवं अध्यासन में है तथा वादी कम्पनी वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना नामांकन कराने की अधिकारी है। वादग्रस्त सम्पत्ति से प्रतिवादी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न था और न है।

(४) यह कि सन्धि-पत्र के आलोक में वादी कम्पनी के पक्ष में घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा की वांछित आज्ञप्ति पारित किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

(५) यह कि सन्धि-पत्र निर्णय एवं आज्ञप्ति का अभिन्न अंग होगा।

(६) यह कि पक्षगण अपना-अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि सन्धि-पत्र को निर्णय एवं आज्ञप्ति का अभिन्न अंग करार देते हुए, सन्धिपत्र के आलोक में वादी का वाद आज्ञप्त किया जावे, ताकि न्याय हो।

दिनांक : 16.08.2014

पक्षगण